न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 63/2020

अपीलांट

1. देवाराम पुत्र उमाजी, जाति मेघवंशी(भांबी) निवासी केसूरी तह. चितलवाना, जिला जालौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. खंगाराराम पुत्र स्व. आईदानजी
2. हंसाराम पुत्र स्व. आईदानजी
3. प्रकाश पुत्र स्व. आईदानजी
4. नथु पत्नी स्व. आईदानजी, जाति कलबी, निवासी केसूरी, तहसील चिलतवाना, जिला जालौर
5. ICICI Bank शाखा साचौर, जरिए प्रबन्धक
6. भूमिधारी तहसीलदार चिलतवाना, जिला जालोर, राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/09/2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना द्वारा बमुकदमा संख्या 08/2019 बअनवान खंगाराराम बनाम देवा में पारित आदेश दिनांक 18.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट) खातेदारी आराजी के नवीन खसरा संख्या 1918/2563 रकबा 4.86 हैक्टर, खसरा संख्या 1917 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा संख्या 2742/1918 रकबा 0.02 हैक्टर जूमले कुल रकबा 4.89 हैक्टर की आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट) उक्त आराजी में आवागमन का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। तथा प्रार्थीगण(रेस्पोडेन्ट) को रास्ते की आत्यधिक आवश्यकता है। रास्ते के अभाव में रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी में काश्त नहीं कर पा रहें है। रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजी के नवीन खसरा संख्या 2742/1918 रकबा 0.02 हैक्टर के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी (अपीलांट) संख्या 01 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा संख्या 1921 रकबा 0.64 हैक्टर आई हुई है। अप्रार्थी (अपीलांट) संख्या 01 की उक्त आराजी के नवीन खसरा संख्या 1921 के दक्षिण में एक रकर्डेड आम रास्ता नवीन खाता संख्या 01 खसरा संख्या 1902 आया हुआ है। तथा रेस्पोडेन्ट की उक्त खातेदारी आराजी नवीन खसरा संख्या 2742/1918 से अपीलांट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1921 में से उक्त आराजी खसरा संख्या 1921 के पूर्वी माठ के लगतो लगत उक्त आराजी खसरा संख्या 1921 के दक्षिण में स्थित रेकर्डेड आम रास्ते तक रास्ता दिये जाने पर कम आराजी की आवश्यकता पडेगी तथा रेस्पोडेन्ट को मुआवजे का भुगतान भी कम करना पडेगा। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आराजी में आवागमन हेतु दिये जाने वाले प्रस्वावित रास्ते को स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शित मार्क A to B स्थान से रेस्पोडेन्ट को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने पर कम आराजी की आवश्यकता पडेगी जो कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुरूप है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए उक्त वादग्रस्त के सबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 रास्ता चाहते तो जो मूल खातेदारी खसरा संख्या 1918/2573 रकबा 4.86 हैक्टर के एकाएक रास्ते के सामने दक्षिण दिशा की तरफ खसरा संख्या 1922 की खातेदारी भूमि एकाएक सामने लगती है। जिसमें से होकर सुविधाजनक रूप से रास्ता मिलता, उसके विरोध मे अपीलांट द्वारा धारा 251 'ए' आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करके रेस्पोडेन्ट ने मात्र अनुसूचित जन जाति के काश्तकार को हैरान व परेशान करने के लिए खसरा संख्या 1921 में से गलत रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया था। रेस्पोडेन्ट के खसरा संख्या 2742/1918 का रकबा 0.02 हैक्टर है, उसमें से रास्ता जोडते हुए खसरा संख्या 1921 जो अपीलांट की खातेदारी भूमि है उसमें से रास्ता चाहा गया था जो सरासर गलत है क्योंकि खसरा संख्या 1921 व 2742/1918 के सीधे में जो रास्ता निकालने की कोशिश की है वह गैर वाजिब है क्योंकि खसरा संख्या 2742/1918 का रकबा 0.02 हैक्टर ही है। जैर अपील आदेश विधि अनुसार नही होने से खारिज योग्य है। साथ ही उक्त आदेश मे तहसीलदार चितलवाना द्वारा बनायी गयी मौका रिपोर्ट गलत रूप से बनायी गयी है। क्योकि खसरा संख्या 1918/2563 का कुल रकबा 4.86 हैक्टर व खसरा संख्या 1917 का रकबा 0.01 हैक्टर की खातेदारी की एकाएक सामने दक्षिण दिशा की तरफ खसरा संख्या 1922 की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खातेदारी आराजी आई हुई थी उसमें से सुविधाजनक रास्ता दिया जा सकता था। परतन्तु अपीलांट के खसरा संख्या 1921 जो रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1918/2563 व खसरा संख्या 1917 के पूर्व दिशा की तरफ आया हुआ है, जो मात्र खसरा संख्या 2742/1918 रकबा 0.02 हैक्टर मात्र लगता है उसमें से रास्ता निकालने हेतु जो मौका फर्द बनायी गयी थी वह गलत है। इन तमाम तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट) खातेदारी आराजी के नवीन खसरा संख्या 1918/2563 रकबा 4.86 हैक्टर, खसरा संख्या 1917 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा संख्या 2742/1918 रकबा 0.02 हैक्टर जूमले कुल रकबा 4.89 हैक्टर की आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट) उक्त आराजी में आवागमन का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। तथा प्रार्थीगण(रेस्पोडेन्ट) को रास्ते की आत्यधिक आवश्यकता है। रास्ते के अभाव में रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी में काश्त नहीं कर पा रहें है। वर्तमान मे प्रार्थी(रेस्पोडेन्ट) का अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का कोई मार्ग विद्यमान नही है, अतः चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट) खातेदारी आराजी के नवीन खसरा संख्या 1918/2563 रकबा 4.86 हैक्टर, खसरा संख्या 1917 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा संख्या 2742/1918 रकबा 0.02 हैक्टर जूमले कुल रकबा 4.89 हैक्टर की आई हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। तहसीलदार चितलवाना से रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट व जबाव पत्रांक 977 दिनांक 02.05.2020 के सबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है कि "प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) के खेत मे पहुचने हेतु अप्रार्थी(अपीलांट) के खेत खसरा संख्या 1921 में से रास्ता ही वैकल्पिक है जो प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है, इसके अलावा अन्य कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नजदीकी वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण(रेस्पोडेन्ट) द्वारा चाहा रास्ता सही है। तथा मौका फर्द में भी वर्णित किया है कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1918/2563, 1917 व 2742/1918 जुमले रकबा 4.89 हैक्टर में आने जाने हेतु निकटतम कटाण रास्ता राजस्व रेकर्ड व मौका अनुसार उपलब्ध नही है।" अतः तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के रेकर्डेड मार्ग अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "bsence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। उक्तानुसार जैर अपील आदेश में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अतः न्यायालय हाजा विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है। मुकदमो की बाहुल्यता को रोकना भी न्यायालय हाजा का उद्देश्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चिलतवाना द्वारा बमुकदमा संख्या 08/2019 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली